



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032025-261437
CG-DL-E-03032025-261437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2025/फाल्गुन 12, 1946

No. 1067]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2025/PHALGUNA 12, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2025

का.आ. 1075(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 3 के उपपैरा (6) के परंतुक और पैरा 5 के उपपैरा (ग) के अनुसरण में, यह आवश्यक और समीचीन समझती है और राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का 10 जून, 2025 तक या, यथास्थिति, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन किए जाने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, विस्तार करती है और उस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2276 (अ), तारीख 11 जून, 2021 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : —

उक्त अधिसूचना में, —

(क) पैरा 2 में, "तीन वर्ष और नौ मास शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे:

(ख) पैरा 6 में, "तीन वर्ष और नौ मास" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जे-11013/43/07-आईए. II (I) (भाग)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण-मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 2276(अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और इसमें तत्पश्चात संख्यांक का. आ. 754 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2022, का. आ. 3450 (अ), तारीख 1 अगस्त, 2023, का. आ. 2210 (अ), तारीख 6 जून, 2024, का. आ. 4218(अ), तारीख 25 सितंबर, 2024 और का. आ. 5292(अ), तारीख 9 दिसंबर, 2024 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2025

S.O. 1075(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the proviso to sub-paragraph (6) of paragraph 3 and clause (c) of paragraph 5 of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government considers it necessary and expedient, hereby extends the term of the Chairman and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh and the term of the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committees, Uttar Pradesh for a period up to 10th June, 2025 or till the re-constitution of the State Level Environment Impact Assessment Authority and the State Level Expert Appraisal Committees, as the case may be, whichever is earlier, and for that purpose makes further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2276 (E), dated the 11th June, 2021, namely:—

In the said notification, —

- (a) in paragraph 2, for the words “three years and nine months”, the words “four years” shall be substituted;
- (b) in paragraph 6, for the words “three years and nine months”, the words “four years” shall be substituted.

[F. No. J-11013/43/07-IA.II(I)(Pt.)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

NOTE—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2276 (E), dated the 11th June, 2021, and subsequently amended vide number S.O. 754(E), dated the 16th February, 2022, S.O. 3450(E), dated the 1st August, 2023, S.O. 2210(E), dated the 6th June, 2024, S.O. 4218(E), dated the 25th September, 2024 and S.O. 5292 (E), dated the 9th December, 2024.